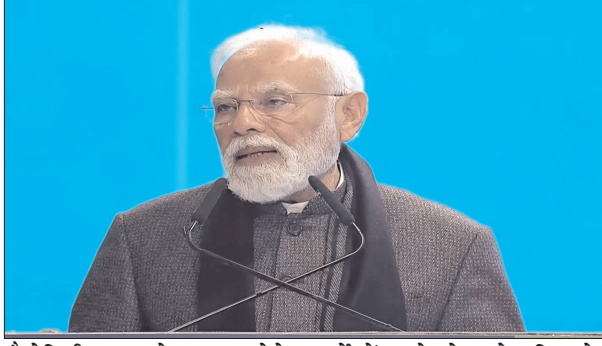


योग ने दुनिया को दिखाया स्वास्थ्य का मार्ग: पीएम मोदी

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष क्षेत्र के लिए एक मास्टर डिजिटल पोर्टल, माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल (एमएआईएसपी) सहित कई ऐतिहासिक आयुष पहलों का शुभारंभ किया और आयुष मार्क का अनावरण किया, जिसे आयुष उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए एक वैश्विक मानक के रूप में परिकल्पित किया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दूसरी पारंपरिक चिकित्सा पर डब्ल्यूएचओ का वैश्विक शिखर सम्मेलन का समापन दिन है। पिछले 3 दिनों में यहां पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े दुनियाभर के विशेषज्ञों ने गंभीर और सार्थक चर्चा की है। युद्ध खुशी है कि भारत इसके लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है और इसमें हलड की भी सक्रिय भूमिका रही है।

मोदी ने कहा कि मैं इस सफल आयोजन के लिए हलड का, भारत

सरकार के आयुष मंत्रालय का और यहां उपस्थित सभी प्रतिभागियों के हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है और भारत के लिए गौरव की बात है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र भारत के जामनगर में स्थापित हुआ है। 2022 में पारंपरिक चिकित्सा की पहली समिट में विश्व ने बड़े भरोसे के साथ हमें ये दायित्व सौंपा था। उन्होंने कहा कि इस शिखर सम्मेलन में पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक पद्धतियों का संगम होता है, जिससे नवाचार के लिए एक अनूठा मंच तैयार होता है। कई नई पहलें शुरू की गई हैं जिनमें चिकित्सा विज्ञान और समग्र स्वास्थ्य के भविष्य को बदलने की क्षमता है। इस समिट में कई अहम विषयों और सहमति बनना हमारी मजबूत साझेदारी का प्रतिबिंब है। अनुसंधान को मजबूत करना, पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अंकीय



प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना, ऐसे विनियामक ढाँचा तैयार करना जिनपर पूरी दुनिया भरोसा कर सके। ऐसे मुद्दे पारंपरिक चिकित्सा को बहुत सशक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का एक अहम हिस्सा योग भी है। योग ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सामंजस्य का रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रयासों और 175 से ज्यादा देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को योग दिवस घोषित किया गया था। बोते

है, वही स्वस्थ है, वही स्वस्थ है। पुनर्स्थापित करना, संतुलन... आज ये केवल एक ग्लोबल कारण ही नहीं है। बल्कि, ये एक वैश्विक तात्कालिकता भी है। इसे संबोधित करने के लिए हमें और तेज गति से कदम उठाने होंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीवन शैली में अचानक से आ रहे इतने बड़े बदलाव, शारीरिक श्रम के बिना संसाधनों और सुविधाओं की सहूलियत.... इससे मानव शरीर के लिए अप्रत्याशित चुनौतियां पैदा होने जा रही हैं। इसलिए, पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल में हमें केवल वर्तमान की जरूरतों पर ही फोकस नहीं करना है। हमारी साझा उत्तरदायित्व आने वाले भविष्यको लेकर भी है। उन्होंने कहा कि जब पारंपरिक चिकित्सा की बात होती है, तो एक सवाल स्वाभाविक रूप से सामने आता है। ये सवाल सुरक्षा और प्रमाण से जुड़ा है।

कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, अगली सुनवाई में 'मानवता' पर होगा सवाल

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा आवारा कुत्तों के प्रबंधन संबंधी नियमों पर 7 जनवरी को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं ने चिंता जताई है कि आवारा कुत्तों को बिना आश्रय के सड़कों से हटाया जा सकता है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल द्वारा यह उल्लेख किए जाने के बाद यह टिप्पणी की कि तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित यह मामला रद्द कर दिया गया है। सुनवाई की तारीख पहले तय करने की मांग करते हुए सिबल ने कहा, समस्या यह है कि इस बीच एमसीडी ने कुछ ऐसे नियम बना लिए हैं जो पूरी तरह से विरोधाभासी हैं। उन्होंने आगे कहा कि नगर निगम दिसंबर में इन नियमों को लागू कर सकता है। उन्होंने कहा, वे इसे लागू करेंगे और कुत्तों



को हटा देंगे। उनके पास आश्रय नहीं हैं। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मानवीयता को लेकर सख्त टिप्पणी की। सुनवाई में जब याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कुछ नियमों के कारण कुत्तों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, तो अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई में एक विडियो चलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि मानवता आखिर क्या है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच कर

रही थी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने बताया कि गुरुवार को इस प्रकरण की सुनवाई के लिए गठित तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ नहीं बैठी। इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। कपिल सिबल ने कहा कि इस बीच एमसीडी ने कुछ ऐसे नियम बना दिए हैं जो वैधानिक प्रावधानों के विपरीत हैं। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण दिसंबर में ही इन नियमों को लागू कर देगा और इसके तहत आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा। जब बेंच ने कहा कि वह 7 जनवरी को इन मुद्दों पर विचार करेगी, तो सिबल ने आशंका जताई कि तब तक हालात बदल चुके होंगे। इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि मिस्टर सिबल, उन्हें करने दीजिए, हम इस पर विचार करेंगे। इसके बाद सिबल ने शुक्रवार को ही मामले की सुनवाई किए जाने का आग्रह किया।

कांकेर में अंतिम संस्कार की रस्मों को लेकर आदिवासी-ईसाई सांप्रदायिक झड़प, 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल

तेवड़ा, 19 दिसम्बर। अमावेड़ा क्षेत्र के तेवड़ा गांव में ग्राम सरपंच के पिता चामरा राम के अंतिम संस्कार को लेकर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। आदिवासी और ईसाई समुदायों ने संपत्तियों में तोड़फोड़ की और आपस में झड़प की। पुलिस ने व्यवस्था बहाल करने के लिए गांव में कर्फ्यू लगा दिया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में तोड़फोड़ और आगजनी का एक मामला सामने आया है। आदिवासी और ईसाई समुदाय सड़कों पर उतर आए और इस तरह अशांत स्थिति उत्पन्न हो गई, जहां दोनों पक्षों ने एक चर्च को जला दिया और एक-दूसरे पर पत्थर फेंका। सूत्रों के अनुसार, लोगों ने चरण राम सलाम के दफन की खबर मिलने के बाद यह कार्रवाई की। आदिवासी समुदाय का मानना था कि अंतिम संस्कार उनके स्थानीय रीति-



रिवाजों के अनुसार नहीं किया गया, क्योंकि शोक सतप्त परिवार ने पहले धर्म परिवर्तन कर लिया था। 16 दिसंबर को उनकी मृत्यु के बाद, परिवार ने गांव में अपनी निजी जमीन पर अंतिम संस्कार किया और शव को दफना दिया। आदिवासी लोगों को संदेह हुआ और उन्होंने शव को कब्र से निकालने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। शिकायतों के बाद, कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने कानूनी प्रावधानों के

अनुसार शव को कब्र से निकालने का आदेश दिया, जिसके कारण झड़प हुई। संघर्ष की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत करने का प्रयास कर रही है। इस घटना में अंतगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष बंचोर सहित 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिसकर्मीयों को प्राथमिक उपचार के बाद आगे के इलाज के लिए चिकित्सा केंद्रों में भेजा गया है। घटना के दौरान संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों के अनुसार, पूरी घटना के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं और अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जहाजों व बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए होगा 'ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी' का गठन, अमित शाह ने दिए निर्देश

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहाजों और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा के लिए एक समर्पित निकाय, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी (बीओपीएस) के गठन हेतु एक बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान, शाह ने देश भर में एक मजबूत बंदरगाह सुरक्षा ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया और निर्देश दिया कि सुरक्षा उपायों को जोखिम-आधारित और चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए, जिसमें कमजोरियों, व्यापार क्षमता, स्थान और अन्य प्रासंगिक मापदंडों को ध्यान में रखा जाए। इस बैठक में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री उपस्थित थे। गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार, नवगठित



व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत बोर्ड ऑफ पोर्ट्स को एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया जाएगा। बयान में आगे कहा गया है कि महानिदेशक की अध्यक्षता वाला यह ब्यूरो बंदरगाह, जहाजरानी एवं

जलमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करेगा और जहाजों एवं बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा से संबंधित नियामक एवं निगरानी कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। गृह मंत्रालय ने बताया इस ब्यूरो का गठन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएस) की तर्ज पर किया जा रहा है।

बीओएस का नेतृत्व एक आईपीएस अधिकारी (वेतन स्तर-15) करेंगे। एक वर्ष की संक्रमणकालीन अवधि के दौरान, महानिदेशक जहाजरानी (डीजीएस/डीजीएमए) बीओएस के महानिदेशक के रूप में कार्य करेंगे। इसमें यह भी उल्लेख किया गया

है कि बंदरगाह सुरक्षा बल (बीओएस) सुरक्षा संबंधी सूचनाओं के समय पर विश्लेषण, संग्रह और आदान-प्रदान को सुनिश्चित करेगा, जिसमें साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, साथ ही बंदरगाह के आईटी बुनियादी ढांचे को डिजिटल खतरों से बचाने के लिए एक समर्पित विभाग भी शामिल होगा। बंदरगाह सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को बंदरगाह सुविधाओं के लिए एक मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन (आरएसओ) के रूप में नामित किया गया है, जो बंदरगाहों के लिए सुरक्षा आकलन करने और सुरक्षा योजनाएं तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

3200 करोड़ के शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उप सचिव गिरफ्तार

छत्तीसगढ़, 19 दिसम्बर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बताया कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उप सचिव सौम्या चौरासिया को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। ईडी के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने सौम्या को 16 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। उन्हें रायपुर स्थित विशेष पीएमएलए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसने ईडी को आज (19 दिसंबर) तक तीन दिनों की हिरासत में भेज दिया। ईडी की जांच में पता चला है कि सौम्या ने कथित तौर पर अपराध से प्राप्त लगभग 115.5 करोड़ रुपये की रकम हासिल की थी। इसके अलावा, ईडी ने कहा कि डिजिटल

रिकॉर्ड, जब्त सामग्री और लिखित बयानों के रूप में जुटाए गए सबूतों से यह साबित होता है कि सौम्या शराब सिंडिकेट की सक्रिय सहयोगी थी। ईडी ने एक बयान में कहा, 'रिजिटल सबूत सौम्या चौरासिया की केंद्रीय समन्वयकर्ता और अनिल तुतेजा और चैतन्य बघेल सहित सिंडिकेट के प्रमुख सदस्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में भूमिका की पुष्टि करते हैं, जिससे अवैध धन के सृजन और मनी लॉन्ड्रिंग में मदद मिली। साथ ही, बरामद चैट से सिंडिकेट के प्रारंभिक संगठन में उसकी सलिपता का पता चलता है, जिसमें अरुण पति त्रिपाठी और निरंजन दास को आबकारी विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त



की मदद से सहायता करना शामिल है। इससे पहले, पूर्व आईएसएस अधिकारी अनिल तुतेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह दिल्ली, अनवर देबर, पूर्व आबकारी विभाग अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी, कावासी लखमा (विधायक और छत्तीसगढ़ के तत्कालीन आबकारी

मंत्री) और चैतन्य बघेल (पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र) को इस मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा की भ्रष्टाचार-विरोधी शाखा द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की थी। पुलिस जांच में पता चला है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और अनुसूचित अपराधों के माध्यम से लाभार्थियों को 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध-जनित आय (पीओसी) प्राप्त हुई।

फार्मा कंपनी का मालिक जम्मू में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार

जम्मू। जम्मू कश्मीर पुलिस के मादक पदार्थों रोधी कार्य बल ने केंद्र शासित प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी में कथित सलिपता के आरोप में दिल्ली स्थित एक दवा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए मादक पदार्थों रोधी कार्य बल (एएनटीएफ) ने दक्षिणी दिल्ली निवासी और एक फार्मा कंपनी के मालिक जतीश बब्बर को पकड़ा। वह कई मादक पदार्थों और मन-प्रभावित पदार्थों से जुड़े मामलों में सलिपत है।



मोहम्मद दानिश
जिला पंचायत सदस्य
वार्ड नं० 10
के भावी प्रत्याशी



NEW LIGHT CLASSES
TRADITION OF EXCELLENCE

2nd Floor, Sheetal Bldg.
Near Diamond Talkies,
L. T. Road, Borivali (West)
Mumbai - 400 092
Maharashtra

ADMISSIONS OPEN
ALL OVER INDIA
ENROLL NOW

SMART CLASSROOM
(ONLINE/OFFLINE)
Courses Offered

- Std. XI & XII (Sci.)
- NEET
- JEE (Main & Advance)
- MHT-CET
- Polytechnic & Engg
- Physics and Maths (ICSE, CBSE, ISC)

M: 9833240148 | E: edu@newlightclasses.com | W: www.newlightclasses.com

